

## कुढनी – 397/21

12.08.21 दिनांक 07.06.21 से काराधीन आवेदक अभियुक्त रजब अली की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया, जिसकी प्रति अभियोजन पक्ष को दी गयी। आवेदन को परिचालित किया गया।

सुना। जमानत के बिन्दु पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसे झुठा केस में फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 07.06.21 से न्यायिक अभिरक्षा में है। ऐसी दशा में आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाये।

अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्त कुढनी थाना कांड संख्या 397/21 अन्तर्गत धारा 414/34 भा0 द0 वि0 एवं 25(1-बी) ए, 26, 35 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत नामित है। आवेदक अभियुक्त के उपर अवैध रूप से आर्म्स रखने और बिना कागजात के मोटरसाइकिल रखने का आरोप है। आवेदक अभियुक्त को पुलिस द्वारा वाहन जांच के क्रम में एक अन्य अभियुक्त के साथ अवैध अग्नेयास्त्र एवं जिन्दा कारतूस तथा बिना कागजात के मोटरसाइकि के साथ पकड़ा गया है। तलासी के दौरान आवेदक अभियुक्त के पैन्ट के पॉकेट से एक पितल का जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरान्त न्यायालय में उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र भी दाखिल किया गया है। ऐसी दशा में आवेदक अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य गंभीर प्रकृति का गैर जमानतीय अपराध है। अतः अपराध की गंभीरता पर विचार करते हुए आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने का कोई आधार नहीं पाता हूँ, तदनुसार आवेदक अभियुक्त रजब अली का जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

ह0/—

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम,  
मुजफ्फरपुर, (पश्चिमी)।